



समेकित जनजाति विकास अभिकरण, राँची (कल्याण शाखा)

(ब्लॉक-ए, कमरा संख्या- 112, ईमेल- dwo.ranchi@gmail.com): 0651-2213348

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित आवश्यक सूचना

छात्र-छात्राओं के लिए:- वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राँची जिला में सूचीबद्ध सभी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की राशि उनके खाता में PFMS के माध्यम से भुगतान किया जाता है। जिसके लिए छात्र-छात्राओं का बैंक खाता के साथ आधार SEEDING/MAPPING होना अनिवार्य है।

कल्याण विभागीय निदेशानुसार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि का लाभ लेने हेतु सभी योग्य छात्रों/अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर बैंक खाता संख्या को आधार के साथ SEEDING/MAPPING कराना. अंतिम रूप से दिनांक 15.09.2022 तक सुनिश्चित करेंगे। छात्रों का बैंक खाता आधार के साथ SEEDING/MAPPING नहीं होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सकेगा, जिसकी पूर्ण जवाबदेही छात्रों की होगी। आधार Mapping/Inactive होने या लिंक नहीं होने की जानकारी UIDAI के वेबसाइट <https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar-linking-status> पर भी प्राप्त की जा सकती है।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापक... 2157 (15) दिनांक: 26/08/2022

प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना को सभी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

जिला कल्याण प्रदाधिकारी,
राँची।